ment Information System for total literacy campaign, vocationalisation of school education, registration of copyrights and monthly expenditure of accounts and voucher level accounts.

Quota of Admission under special Dispensation

1447. SHRI SYED SIBTEY RAZI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether some quota of admission in Kendriya Vidyalayas under special dispensation category has been fixed;

(b) if so, the details thereof with number of seats fixed for each category of entitled persons and institutions;

(c) whether Government propose to review the enhancement of the quota; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. The total number of admissions in all Kendriya Vidyalayas on special dispensation should not exceed 10 per cent of the total admissions of the previous academic year. 50 per cent of these admissions is for the children recommended by Members of Parliament including the members of Consultative Committee. The remaining 50 per cent is for children recommended by the Members of the Board of Governors. Members of the Sangathan, Chairman of the Vidyalaya Management Committee and other sources.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन कार्यरत स्वयंसेवी अध्यापक

1448. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस शीर्ष में औसत वार्षिक व्यय कितना रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन कुछ स्वयंसेवी अध्यापकों को मनोनीत किया गया है,

(घ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1992 में मनोनीत किए गए ऐसे कुल कितने अध्यापक हैं और क्या उन्हें मानदेय दिया जाया है.

(ङ) यदि हां, तो कितना और यह राशि कब निर्धारित की गई थी, और

(च) क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 1989–90, 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान किया गया व्यय क्रमशः 193.55 लाख रु. 78.00 लाख रु. तथा 91.62 लाख रु. था ।

(ग) जी. हां ।

(घ) दिसम्बर, 1992 के अंत तक दिल्ली प्रशासन द्वारा 13067 अनुदेशकों को इस कार्य पर लगाया गया तथा उन्हें